न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 14 / 2024
जीसीएमएस संख्याः 2024 / 71 निर्णय दिनांकः 01-04-26

1. बाबुलाल पुत्र गोपालराम जाति ब्रहामण निवासी ग्राम कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. जयनारायण पुत्र गोपालराम जाति ब्रहामण निवासी ग्राम कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
3. सुरजीदेवी पत्नी स्वर्गीय मंगतूराम जाति ब्रहामण निवासी ग्राम कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
4. कैलाश पुत्र मंगतूराम जाति ब्रहामण निवासी ग्राम कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

पुष्पादेवी पत्नी रामकुमार जाति ब्रहामण निवासी ग्राम कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व लूणकरणसर जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर
दिनांक 22—12—2023

उपस्थितः—

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री अजय ओझा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 22—12—2023 जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोन्डेन्ट पुष्पादेवी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रौही मौजा कालू के खसरा नम्बर 2026 रकबा 7.15 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है जिसमें आने जाने के लिए अपीलान्टस की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1991 तादादी 4.71 हैक्टेयर में से की गई है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 के रकबा में आने जाने के लिए अपीलान्टस के रकबा में से कभी कोई रास्ता ना तो कभी था और ना ही है, केवल मात्र अपीलान्टस को तंग व परेशान करते की नियत से यह कार्यवाही की गई है। रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 हमेशा ही खसरा नम्बर 2027 के पूर्वी दिशा से सींव सींव आती जाती है तथा वर्तमान में भी रेस्पोन्डेन्ट सं 1 उसी रास्ते का उपयोग करती है, क्योंकि वही रास्ता उसके निकटतम है तथा नियमानुसार भी वह इसी रास्ते की मांग कर सकती है, अपीलान्टस के रकबा में से दूरी अधिक है, जबकि खसरा नम्बर 2027 से निकटतम है, ऐसी स्थिति में नियमानुसार भी उसे खसरा नम्बर 2027 में ही रास्ते की मांग करनी चाहिये तथा वर्तमान में भी वह वहीं से अपने रकबा में आती जाती है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस और कतई गौर नहीं किया। रेस्पोन्डेन्ट के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2027 में से पहले से ही रास्ता चल रहा है, नये रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है, जब पहले से रास्ता चालू है तब धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र लगा ही नहीं सकता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रख कर मिसयूज ऑफ लॉ ऑफ प्रोसेस की तारीफ में आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किए, पूर्णतयाः रेकार्ड व मौका के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसे किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन तक नहीं किया क्योंकि यदि अवलोकन करते तो उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, कि रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 के आवागमन के लिए खसरा नम्बर 2027 में से भी रास्ता काटा जा सकता है। परन्तु पटवारी हल्का के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा मौका रिपोर्ट भी अधुरी की है, उसके कहीं अंकन नहीं किया है, कि निकटतम रास्ता कौनसा है, किस रास्ते से कितनी दूरी है, जबकि निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 2027 में से ही है, फिर भी पटवारी हल्का द्वारा इसकी रिपोर्ट जानबूझ कर नहीं की गई है और ना ही पटवारी हल्का द्वारा कोई नक्शा मौका बनाया है, ऐसी स्थिति में इस अधुरी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने नियमो एवं कानून को ताक पर रख कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो कतई गलत एवं गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि तहसीलदार से दुबारा मौका नक्शा एवं माप के साथ मंगवाते जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो जाती कि निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 2027 में से ही है, अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए यह समस्त कार्यवाही की गई है. ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की अधुरी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया है, बिना अपीलान्टस को सुने, बिना उनसे साक्ष्य व सबूत लेकर केवल रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 को फायदा पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के खेत में कभी कोई रास्ता था ही नही तो नये रास्ते को कायम नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार के द्वारा भी जो रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष पेश की गई है, वो अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में एवं प्रत्येक बिन्दू एक दुसरे के विरोधाभाषी होने से उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता क्योंकि जब रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 के खेत में पहले से ही रास्ता चल रहा है तो दुसरे रास्ते की मांग कर ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के द्वारा पारित आदेश कानून की मंशा के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य होने से इसे निरस्त फरमाया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर दिनांक 22–12–2023 निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 2026 में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत किया गया है। उक्त खेत खसरा नम्बर 2026 के चिपते ही अपीलांट की भूमि स्थित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की चिपती भूमि खसरा नम्बर 1991 में से रास्ता चाहा गया है। रेस्पोडेन्ट के खेत में आवागमन करने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। रेस्पोडेन्ट निरन्तर कई वर्षो से अपने खसरा नम्बर 2026 की भूमि मे आने जाने हेतु कालू से छटासर जाने हेतु अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1991 व 2106 से होकर निरन्तर अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 1991 की दक्षिण पश्चिमी सींव मे से होकर अपने खातेदारी खेत में प्रवेश करके आवागमन कर कृषि कार्य करता है। अपीलांट द्वारा उक्त रास्ते को बार बार बंद कर दिया जाता है। जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1991 की सींव से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तत्पश्चात रास्ते से संबंधित रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव व निकटतम रास्ते के बिन्दू पर विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नियमो की पूर्ण पालना करते हुए किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए का अवलोकन किया गया।

धारा 251 ए के अनुसारः– Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that **(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may,** be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, **through the shortest or nearest route,** or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet.

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

रास्ते संबंधी प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है:–

1:– रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2:– वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3:– उपलब्ध विकल्पों में से निकटतम रास्ता।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लूणकरणसर की मौका रिपोर्ट कमाक 506 दिनांक 31–05–2021 का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट नियम 69 की पालना करते हुए बनाई गई है। मुताबिक मौका रिपोर्ट अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1991 में स्थित है जबकि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2026 में स्थित है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 2026 में आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1991 में से रास्ते की मांग की है। मौका

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत के आवागमन हेतु पूर्व में कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है। इसलिए रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यक का बिन्दू प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित है। यह बिन्दू हस्तगत अपील में विवाद का बिन्दू भी नही है।

अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 2026 के निकटतम खसरा नम्बर 2027 है। रेस्पोडेन्ट को खसरा नम्बर 2027 मे से रास्ते मांग करनी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा इस संबंध में अपनी अपील के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2027 से प्रस्तावित रास्ता लघुतम दूरी का हो। अपीलांट द्वारा केवल बहस में यह कथन किये कि खसरा नम्बर 2027 से यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता तो वह निकटतम रास्ता होता। परन्तु यह रास्ता कितना नजदीक होता और स्वीकृत रास्ता कितने फीट दूर है, इस संबंध में कोई तथ्य नही बताये। मौका रिपोर्ट में यह तथ्य उल्लेखित है कि खसरा नम्बर 1991 व खसरा नम्बर 2027 की पूर्व दिशा में कालू से छटासर जाने वाला कटाणी रास्ता चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी रास्ते से अपीलाधीन आदेश द्वारा नया रास्ता स्वीकृत किया है। मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत रास्ता तथा अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2027 में सुझाये गये रास्ते की दूरी एक समान बताई गई है। इस सूरत में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर तथा अपीलांट की बहस से यह साबित नही होता कि अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत रास्ता निकटतम रास्ता नही है। धारा 251 ए आरटीए की मंशा काश्तकार को उसके खेत में जाने हेतु समरी ट्रायल द्वारा रास्ता उपलब्ध करवाना है न कि तकनीकी बिन्दूओं के आधार पर रास्ता खारिज करना। हस्तगत प्रकरण में यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके खेत में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा आत्यान्तिक आवश्यकता के बिन्दू को दृष्टिगत रखते हुए रास्ता मंजूर किया है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–12–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 01-04-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर